कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती आशा शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणगौरी बाजार, जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोलयाडा, टोंक किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती आशा शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 2909/2019 आशा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 2909/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में उनके नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में अपने आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्रीमती आशा शर्मा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणगौरी बाजार, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन कार्यरत रहेंगी एवं उनके स्थान पर स्व. मन्नालाल विजयवर्गीय राउमावि, हरसोली सांभरलेक, जिला जयपुर से राबाउमावि, गणगौरी बाजार, जयपुर में पदस्थापित प्रधानाचार्य श्रीमती जयश्री भार्गव का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोलयाडा जिला टोंक किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील//2909/2019 **दिनांक**: 21.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/टोंक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner